


१
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा
अनुवान

विषय :
नयकार उपक्रम, अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण
दिनांक 18-01-2023... को किया जा चुका है।


उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(खैरथल-तिजारा)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

निर्माता :
नयकार उपक्रम, अलवर
CIN-302002

अनुवान

दुसरेन जां बनाम असरी - वगैरे

दोवा 53, 88, 89 व 188 RT Act

395
2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
17 ⁰⁸ / ₂₂	<p>आज बाद वारी मय अधिवक्ता उपस्थित होकर पेश किया। उपस्थित वारी मय प्राप्ति की पुन जाकर, वाद व प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। उनका वारी का वाद दर्ज राजीकर किया जाकर, प्रतिवादीगण से जर्म रजिस्ट्रार नोटिफिकेशन करें, पत्राण वास्तु तलबी में दिनांक 08/09/22 को पेश हो</p>	
08 ⁰⁹ / ₂₂	<p>आज पत्रावली पेश हुई। ^{वारी} उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते ^{तलबी} में दिनांक ^{07¹¹/₂₂} को पेश हो।</p>	<p align="right">उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज०</p>
07 ¹¹ / ₂₂	<p>आज पत्रावली पेश हुई। ^{वारी} उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते ^{तलबी} में दिनांक ^{16⁰¹/₂₃} को पेश हो।</p>	
16/01/23	<p>उपखण्ड अधिकारी, तिजारा आज पत्रावली पेश हुई। ^{वारी} उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते ^{तलबी} में दिनांक ^{16/01/23} को पेश हो।</p>	
18/01/23	<p>उपखण्ड अधिकारी, तिजारा आज पत्रावली पेश की प्रकाश लगाई गयी बार-2 प्रकाश लगाई पर वारी व वारी प्राप्ति कठुठ। अतः वारी का वाद प्रकट हाजरी व प्रकट पेशी के खारेज की जाता है। पत्रावली वाद निर्दिष्ट तलबील नंबर के मय रजिस्ट्रार दाखिले दफ्तर हो।</p>	<p align="right">उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज०</p>